न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 120/2025

श्री मनीष कुमार शर्मा निवासी प्लाट नं. 10 शान्ती पथ निवारू रोड जोठवाडा जयपुर पिन 302012 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 4.02.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 05.11.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

I seek complete details of agriculture Land related to Old Khasra No. 2797, situated in Deoll, District Tonk, registered in the name of Shri Ramcharan Chobey. Please provide the following information:

1. Present Khasra number and updated land details mapped from Old Khasra No. 2797.
2. Total land area and classification (agricultural/residential/other)

3 Names of owners/khatedars at present and in previous ownership records.

4 Jarnabandi/Nakal Khatauni and Khasra details (year wise) for the last 50 years.

5 Mutation (Namantaran) records done in this Khasra including copies of orders.

6. Map/Lagan.report/Patta copy and any other related documents of the said land

7 Any court disputes, encuembranes or government acquisition related to the land (if available in office records)

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 2438 दिनांक 16.12.2025 व 2512 दिनांक 31.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1229 दिनांक 23.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से होने से उनके पत्र कमांक 1064 दिनांक 17.11.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से प्राप्त जवाब को उनके पत्र कमांक 1209 दिनांक 18.12.2025 से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

784